

कार्यालय महाप्रबंधक, निगाही परियोजना /Office of the General Manager,
Nigahi Project



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- निगाही परियोजना जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486884/ Post- Nigahi Project, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486884

Phone: 07805- 276040, (FAX) 276306 email: cgmngh@ncl.gov.in website : www.nclcil.in

पत्र क्र०- म०प्र०/निगाही/योजना/18/358

दिनांक:-17.04.18

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,
 वन मण्डल सिंगरौली
 जिला सिंगरौली (म०प्र०)

Received
 31/04/18
 मुख्य निरीक्षक
 वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- एनसीएल के निगाही परियोजना में ओपनकास्ट माइनिंग हेतु 874.146 हे० वनभूमि पर उपरीतल अधिकार के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

- संदर्भ:- (1) मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त का पत्र क्रमांक/मा०चि०/1542
 दिनांक 16.02.2018
 (2) वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली का पत्र क्र०/मा०चि०/811
 दिनांक 01.03.18

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत व सन्दर्भित पत्र द्वारा एन.सी.एल. के निगाही परियोजना में ओपनकास्ट माइनिंग हेतु 874.146 हे० वन भूमि पर उपरितल अधिकार के नवीनीकरण प्रस्ताव के सन्दर्भ में निम्नलिखित जानकारी बिन्दुवार चाही गयी है जो इस प्रकार है :-

1- नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का विश्लेषण रिपोर्ट जैसे कि -

(अ) प्रस्तावित स्थल का पूर्व में अनुमोदित कुल क्षेत्रफल 874.146 हे० है। वन भूमि पर कुल खनिज की मात्रा (कोयला) 278.42 मिलियन टन है। पूर्व में प्राप्त वन भूमि की स्वीकृति में सेफ्टी जोन का प्रावधान नहीं था।

उपरोक्त जानकारी टोपोशीट पर दर्शा दी गयी है तथा ANNEXURE-I में संलग्न है।

(ब) विद्यमान खदान में अब तक 464.89 हे० वन भूमि पर उत्खनन किया जा चुका है।

उत्खनन हेतु खदान के अन्दर व 500 मीटर की परिधि में बनाये गये अस्थाई रास्ते टोपोशीट पर दर्शाये गये हैं। टोपोशीट ANNEXURE-I में संलग्न है।

(स) खदान की वर्तमान प्रोपेक्ष रिपोर्ट (कितने क्षेत्र पर उत्खनन किया जा चुका है एवं कितने पर किया जाना बाकी है) प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा), जिला सिंगरौली, म०प्र० द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ANNEXURE-II में संलग्न है।

कार्यालय महाप्रबंधक, निगाही परियोजना /Office of the General Manager,
Nigahi Project



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

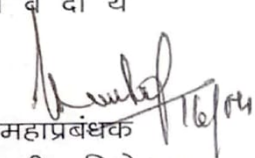
पोस्ट- निगाही परियोजना जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486884/ Post- Nigahi Project, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486884

Phone: 07805- 276040, (FAX) 276306 email: cgm^{ngh}@ncl.gov.in website : www.nclcil.in

2- पूर्व में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्तों का बिन्दुवार परिपालन की जानकारी ANNEXURE-III में संलग्न है।

एनसीएल के निगाही परियोजना में ओपनकास्ट माईनिंग हेतु 874.146 हे० वन भूमि पर उपरितल अधिकार हेतु प्रस्ताव की पाँच मूलतः प्रतियाँ सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ, उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की कमियों को पूर्ति करते हुए पुनः प्रस्तुत की जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को अतिशीघ्र जाँच उपरान्त मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त को अग्रसित करने की कृपा करें।

भ ब दी य


महाप्रबंधक
निगाही परियोजना

संलग्न:-

- 1- ANNEXURE- I, II, III
- 2- वन भूमि नवीनीकरण के प्रस्ताव की मूलतः 5 प्रतियाँ
- 3- संदर्भित पत्रों की छायाप्रति

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक 1345 / ख.लि. / क्यूएल / 2018

सिंगरौली, दिनांक 12.04.2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल सिंगरौली
जिला सिंगरौली

विषय :- एन.सी.एल. के निगाही परियोजना में ओपनकास्ट माइनिंग हेतु 874.146 हे. वनभूमि पर ऊपरी तल अधिकार के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./811 सिंगरौली, दिनांक 01.03.2018।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र द्वारा एन.सी.एल. के निगाही परियोजना में ओपनकास्ट माइनिंग हेतु रकबा 874.146 हे. वनभूमि में से कितने क्षेत्र पर उत्खनन किया जा चुका है एवं कितने पर किया जाना बाकी है से सम्बन्धित जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि एन.सी.एल. की निगाही परियोजना से उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2018 अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	वस्तुस्थिति
1	2	3
01	कुल अधिग्रहित वन भूमि	874.14 हे.
02	उत्खनन योग्य वन भूमि	590.95 हे.
03	अब तक उत्खनन की गई वन भूमि	464.89 हे.
04	उत्खनन योग्य शेष भूमि	126.06 हे.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एन.सी.एल. अमलोरी परि. का पत्र दिनांक 11.04.2018।


प्रभारी अधिकारी
(खनि शाखा)
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली, दिनांक 12.04.2018

पृ. क्रमांक 1347 / ख.लि. / क्यूएल / 2018

प्रतिलिपि-

01. महाप्रबंधक, एन.सी.एल. निगाही परियोजना, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी
(खनि शाखा)
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

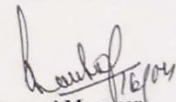
NIGAH OPENCAST PROJECT, NCL
FOREST CLEARANCE COMPLIANCE STATUS REPORT

ANNEXURE III

DIVERSION OF 874.146 HA. OF FOREST LAND as per GOI, MOEF LETTER NO: 8-62/86-FC - DT. 18/06/1987

Sl No.	Conditions	Compliance Status																			
i)	The compensatory afforestation will be raised on 874.146 ha. of non- forest land and this non-forest land will be handed over to the forest department for afforestation before starting the work in the proposed area. In addition to above, compensatory afforestation will be raised over 1784.292 Ha. of degraded forest land.	(i). a) Handing over of 874 .146 ha. non-forest land for Compensatory Afforestation: 600 Ha. of non- forest / revenue land in the East Sidhi, Forest Division and 274.146 Ha. of non-forest land/revenue land in the West Sidhi, Forest Division of Sidhi district was handed over to the state forest department by the NCL. A letter in this regard was written to DFO(East Sidhi) by GM(Nigahi Project) on 11.08.89 vide letter no. GM/Nigahi/Pers. Dept./Bhumi/89/2397. An amount of Rs. 87, 41,460.00 was also paid for CA in the aforesaid land @ Rs. 10,000.00 per Ha.(letter is enclosed) b) Compensatory afforestation over 1748.292 Ha. Degraded Forest Land: A total amount of Rs. 1, 74, 82,920.00 has been paid by NCL for the CA in the 1748.192 Ha. Degraded forest Land situated at Bargawan Forest Range of East Sidhi Forest Division of Sidhi District. The forest Compartments in the degraded forest range of Bargawan are: - P 279, P280, P281, P282, P284, P285, P292, P293, P294, P295, and P296. c) Payment for CA The total payment made for compensatory afforestation was Rs. 2, 62, 24,380.00 @ Rs. 10,000 per Ha for a total area of 2622.438 Ha. Land (874.146 Ha+1748.292 Ha) as detailed below in the table. <table><tr><th>DD No.</th><th>Date</th><th>Amount (Rs.)</th><th>Documents Enclosed</th></tr><tr><td>TL/A/4-071463</td><td>28.03.1985</td><td>9,00,000.00</td><td rowspan="2">An Amount of Rs 1789080 has been deposited. In this regard, a letters no363 dated 12.01.88 is enclosed issued by chief forest conservator(D)</td></tr><tr><td>TL/A/4-071464</td><td>28.03.1985</td><td>8,89,080.00</td></tr><tr><td>HC/A-370305</td><td>12.12.1987</td><td>2,44,35,300.00</td><td>Letter no. 1481 dt. 22/12/87 of Chief of revenue, NCL, received by DFO, East Sidhi Division, Sidhi on 23.12.87.</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>2,62,24,380.00</td><td>Letter no SGR/Rev/I-44/150-152 Dt 02.02.88 of GM(proj.prod)/NCL.</td></tr></table>	DD No.	Date	Amount (Rs.)	Documents Enclosed	TL/A/4-071463	28.03.1985	9,00,000.00	An Amount of Rs 1789080 has been deposited. In this regard, a letters no363 dated 12.01.88 is enclosed issued by chief forest conservator(D)	TL/A/4-071464	28.03.1985	8,89,080.00	HC/A-370305	12.12.1987	2,44,35,300.00	Letter no. 1481 dt. 22/12/87 of Chief of revenue, NCL, received by DFO, East Sidhi Division, Sidhi on 23.12.87.	Total		2,62,24,380.00	Letter no SGR/Rev/I-44/150-152 Dt 02.02.88 of GM(proj.prod)/NCL.
DD No.	Date	Amount (Rs.)	Documents Enclosed																		
TL/A/4-071463	28.03.1985	9,00,000.00	An Amount of Rs 1789080 has been deposited. In this regard, a letters no363 dated 12.01.88 is enclosed issued by chief forest conservator(D)																		
TL/A/4-071464	28.03.1985	8,89,080.00																			
HC/A-370305	12.12.1987	2,44,35,300.00	Letter no. 1481 dt. 22/12/87 of Chief of revenue, NCL, received by DFO, East Sidhi Division, Sidhi on 23.12.87.																		
Total		2,62,24,380.00	Letter no SGR/Rev/I-44/150-152 Dt 02.02.88 of GM(proj.prod)/NCL.																		

ii)	The clearance will be withdrawn if the disciplinary action is not completed within six months from date of approval.	Disciplinary action was taken against officers involved. It is described at Point no 8 of letter written to DFO (East Sidhi) by GM(Nigahi Project) on 11.08.89 vide no. GM/Nigahi/Pers. Dept./Bhumi/89/2397 (letter enclosed).
iii)	Legal status of land to remain unchanged.	Legal Status of Land will remain unchanged.
iv)	Mined over area to be reclaimed/ restored after mining/quarrying is over.	Presently mining is being carried out, Mined over area shall be reclaimed/ restored after mining/quarrying is over.
v)	In order that the construction labour & staff while working on the project in the forest area may not cause destruction to the forest area for meeting their fuel wood needs, the agency will establish fuel wood depots and will provide the fuel wood to them free of cost or its cost deducted from their salary and wages.	All the employees of NCL are using LPG as fuel, being provided free of cost. Therefore fuel wood is not consumed and hence establishment of fuel wood depots is not required.
vi)	Arrangements shall be made by the project authorities for free supply of fuel wood or other sources of energy to the staff and labourers engaged in the project free of cost.	Arrangements have been made by the NCL for free supply of LPG as fuel to all its employees.
vii)	No explosive should be allowed to store in the forest area.	There is no storage of Explosive in Forest land at Nigahi Opencast Project.
viii)	The conditions/ safeguards proposed while clearing the project from environment angle to be followed strictly.	The conditions/ safeguards proposed while clearing the project from environment angle are regularly monitored and followed strictly.


General Manager,
Nigahi Area, NCL

Enclosure:

1. Letter No. GM/Nigahi/Pers. Dept./Bhumi/89/2397 Dated 11.08.89
2. Letter no 363 dated 12.01.8, issued by chief forest conservator(D)
3. Letter no. 1481 dt. 22/12/87 issued by Chief of revenue, NCL
4. Letter no SGR/Rev/I-44/150-152 Dt 02.02.88 issued by GM(proj.prod)/NCL
5. Forest clearance letters

बीएस/निगाही/का. वि. / भू. वि. 89/2397

11. 9. 89

72—

प्रति :-

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल पूर्व तीर्थी जलप्रपात।

विषय :- गार्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड तोली जिले में निगाही परियोजना हेतु 874.146 ई० वन भूमि उपरी तल अधिकार देने का पत्र।

संदर्भ :- म०प्र० शासन वन विभाग भोपाल एवं क्रमांक एफ-5/146/83/10/3 दिनांक 7.7.83 एवं आदेश पत्र क्रमांक मा. वि/6891 दिनांक 9.9.88, 3189 दिनांक 25.7.89 एवं 3267 दिनांक 7.12.89।

संदर्भ,

विलंबित प्रकरण से सम्बन्धित म०प्र० शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-5/146/83/10/3 दिनांक 7.7.83 में निर्धारित शर्तों के पालन परियोजना अधिकार निम्नलिखित प्रेषित है :-

- 1- शर्त क्रमांक 1 :- शर्तानुसार वन ती. वन की गारंटी है।
- 2- शर्त क्रमांक 2 :- इस शर्त के अनुसार वन ती. वन द्वारा निगाही परियोजना में कोयला उत्खनन हेतु प्रसारित वन भूमि के एक में राज्य वन भूमि निम्नानुसार उपलब्ध करा दी गई है :-

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1- पूर्व तीर्थी वन मण्डल | - | 800.00 ई० |
| 2- शेष वन तीर्थी वन मण्डल | - | 274.146 ई० |

योग 874.146 ई०

कु०प्र०३०

उक्त वन क्षेत्र के कुलने मिलते वनक्षेत्र अर्थात् 1748.292 हे० में पुष्पारोमक हे० 10,000.00 ए० प्रति हे० की दर से 1,74,82,920.00 ए० तथा 874,146 हे० में वैकल्पिक पुष्पारोमक हे० 10,000.00 ए० प्रति हे० की दर से 87,41,460.00 ए० इस प्रकार कुल राशि 2,62,24,380.00 ए० तत्समान द्वारा वन विभाग को पूर्व में ही भुक्तान किया जा चुका है। यहाँ तक उपलब्ध कराई गई राशियें भूमि के अधिपति तैयार कर राज्य शासन के लोकाई कराने का प्रयत्न है आपके कार्यालय से तत्समन्वय रहता है।

3- शर्त क्रमांक 3 :- इस शर्त का तत्समन्वय वन विभाग से तत्समन्वय रहता है। इस शर्त के अनुसार प्रथम चरण में 590 हे० वन भूमि में कटाई एवं पुनर्वाह के बाद बायोला उत्खनन हेतु मान किया गया था।

4- शर्त क्रमांक 4 :- इस शर्त के अनुसार कोयला उत्खनन के पर्याप्त समाप्ती करण किया जायेगा वर्तमान में प्रयत्न ही नहीं उठता है।

5- शर्त क्रमांक 5 :- इस शर्त के तत्समन्वय में अनुरोध है कि वन क्षेत्र को क्षति से बचाने की दृष्टि से रन.ती. रन. द्वारा वसिष्ठों एवं कार्यवाहियों को निः शुल्क कोयला उपलब्ध कराया जाता है। अतः हक्याड मकड़ी का डिपो खोलकर निः शुल्क प्रदान करने का प्रयत्न ही नहीं उठता है।

6- शर्त क्रमांक 6 :- वन क्षेत्र में नालय का मण्डारण नहीं करेंगे।

7- शर्त क्रमांक 7 :- पर्यावरण स्वीकृति में गुरवारमक को उपाय गुंठायें गये हैं उपर्युक्त मुन्दा वनक्षेत्र किया जायेगा।

8- शर्त क्रमांक 8 :- इस शर्त के अनुसार रन.ती. रन. शिंगरीली के वन क्रमांक रन.ती. रन./टी. की रन.टी. 27/104 दिनांक 21.11.07 के अनुसार वनक्षेत्र में वनक्षेत्र अधिनियम का अर्थान्न करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुये उन्हें भिगाही परियोजना से प्रत्यक्ष समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यालय द्वारा दोषी अधिकारियों को चेतावनी दी जा चुकी है जिसकी सूचना तत्समन्वय

पु०पु०३३०

तद्विषय उक्त मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या एम.टी. स्म. / ति.सं. / डी /
पी एन ५१/२७/१०५ दिनांक २५.११.८७ द्वारा श्री वा पुडी से लिखी ग
प्रति मुख्य एवं संरक्षक [विद्यार्थी] भोपाल एवं वन संरक्षक रीवा को भी दी गई है।

भारत सरकार संरक्षक शासन पर्यावरण वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक ८-६२/८६/
स्म.टी. दिनांक २०.५.८८ में स्तुति दण्ड देने के निर्देश के सम्बन्ध में स्तुति
लिखा जा रहा है कि पूर्व में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
स्म.टी. स्म. के द्वारा स्तुति दण्ड माना गया है क्योंकि यह शासक अधिकारी
विरुद्ध प्रत्यक्ष के अधिकारी है तथा वन अधिकारियों को बताया देना अपने
आप में एक बड़ा दण्ड है।

१- सर्व क्रमांक १ :- इस सर्व है अनुसार निम्नानुसार कानून पत्र प्रस्तुत है :-

"अधिनियम में भी यदि कोई को भारत सरकार व राज्य शासन से निर्धारित
की जाती है तो संस्थान उन्हें मानने के लिये कानून बध्य होगा।"

मुख्य

७/१/८८

डि. पी. सिंह

महा प्रबंध

विभागीय परिपोषण

प्रतिपक्ष :-

- १- मुख्य एवं संरक्षक [विद्यार्थी] भोपाल की ओर म०१० शासन वन विभाग
के पत्र क्रमांक एम-२/१५६/८६/१०/१ दिनांक ७.७.८८ के सम्बन्ध में सूचनाएं
प्रस्तुत।
- २- वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर म०१० शासन वन विभाग भोपाल